29/6/17 पत्रावली आज न्याय आपके [illegible] 2017 केस कोडकेरा

पर प्रस्तुत हुई। वादी अधिवक्ता। प्रतिवादी ~~[illegible]~~ एकपक्षीय [illegible]

की अनुपस्थित है। [illegible] वादी के प्रतिवादीगण के विरुद्ध

आदेश किया जाता है। प्रार्थना पत्र [illegible] अंतर्गत

स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

1. लक्ष्मीलाल उर्फ गोपाल पुत्र गोकल कलाल, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. चेतन पुत्र गोकल कलाल, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. हीरा पुत्री गोकल कलाल, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. माया पुत्री गोकल कलाल, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. प्रेम पत्नी गोकल कलाल, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सोहन लाल पुत्र धन्ना खटीक, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. कन्हैयालाल पुत्र धन्ना सुवालका, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. भैरूलाल पुत्र कालु लाल तेली, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. रामेश्वर पुत्र देबीलाल खटीक, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. भैरूलाल पुत्र मांगू बलाई, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू.—राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 29.06.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू.—राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 04.05.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोदूकोटा, पटवार हल्का कोदूकोटा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3332 रकबा 01—02 बीघा, आराजी संख्या 3334 रकबा 02—19 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 04—01 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेषा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कोदूकोटा, पटवार हल्का कोदूकोटा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3332 रकबा 01—02 बीघा, आराजी संख्या 3334 रकबा 02—19 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 04—01 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 500/— अक्षरे पॉच सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा करावे, साथ ही कमिश्नर फीस 500/— रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 29.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)

उपखण्ड अधिकारी एवं